

I

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54.

सं0फा0 23(2)/डीई/आरटीई/2011-12/570 - 584

दिनांक: 23/04/2013

अधिसूचना

दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 2 के उपनियम 1 के खंड (i) के अनुसरण में दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 तथा इसके अन्तर्गत बनायी गई नियमावली के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्राधिकरणों को स्थानीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

- (क) सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालय के संदर्भ में, सरकार;
- (ख) किसी नगर निगम के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालय के संदर्भ में, ऐसा नगर निगम;
- (ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालय के संदर्भ में, यह परिषद;
- (घ) दिल्ली छावनी बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन के संदर्भ में, यह बोर्ड ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर।

मधु रानी

(डॉ० मधु रानी तेवतिया)(आईएएस)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

सं0फा0 23(2)/डीई/आरटीई/2011-12/570 - 584

दिनांक: 23/04/2013

प्रतिलिपि निम्न को :-

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
4. संचिव, माननीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. निदेशक, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम (पूर्व/उत्तर/दक्षिण)।
9. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।
11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. समस्त अतिरिक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक शिक्षा/सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय।
13. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
14. कार्यालय अधीक्षक (आईटी) को विभाग की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।
15. गार्ड फाईल।

मधु रानी

(डॉ० मधु रानी तेवतिया)(आईएएस)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

**[TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA-ORDINARY]
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
OLD SECRETARIAT: DELHI – 110054**

No.F.23 (2)/DE/RTE/2011-12/570-584

Dated: 23/04/2013

NOTIFICATION

In pursuance of clause (i) of sub- rule 1 of rule 2 of the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 the Lieutenant Governor of Delhi hereby notify the following authorities as the Local Authority for the purpose of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009 and rules made there under, namely :-

- (a) In relation to school under administrative control of the Government, the Government;
- (b) In relation to school under administrative control of any Municipal Corporation, such Municipal Corporation;
- (c) In relation to school under administrative control of New Delhi Municipal Council, that Council;
- (d) In relation to school under administrative control of Delhi Cantonment Board, that Board.

By Order and in the name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi.



**(Dr. Madhu Rani Teotia)(IAS)
Additional Secretary (Education)**

No.F.23 (2)/DE/RTE/2011-12/ 570-584

Dated: 23/04/2013

Copy to:-

1. Secretary, MHRD, Govt of India.

2. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
3. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Delhi
4. Secretary to Hon'ble Minister of Education, Govt. of NCT of Delhi.
5. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
6. Secretary Education, Govt. of NCT of Delhi.
7. Director, Education, Govt. of NCT of Delhi.
8. Director (Education), Municipal Corporations of Delhi (East/North/South)
9. Director (Education), New Delhi Municipal Council.
10. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board.
11. Director, Directorate of Information and Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
12. All Addl. Directors/RDs/JDs/ DDEs/ADEs of Director of Education
13. All Branch In charges, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- ✓14. OS (IT) with the request to place it on the website of the Department.
15. Guard file.



(Dr. Madhu Rani Teotia)(IAS)
Additional Secretary (Education)